जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कौशाम्बी

परिवाद संख्या–110/2023

उपस्थिति– श्री लाल चन्द्र, (अध्यक्ष)
श्रीमती संचिता श्रीवास्तव, (सदस्या)

देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 त्रिभुवन नाथ निवासी–नेहरू नगर, थाना–मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

.....परिवादी।

बनाम

1–अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, मंझनपुर, जनपद–कौशाम्बी।

.....विपक्षी।

परिवाद संस्थित होने की तिथि :– 10–08–2023

परिवाद निर्णीत होने की तिथि :– 06–11–2023

श्री लाल चन्द्र, (अध्यक्ष) द्वारा उद्घोषित :–

निर्णय

01– परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षी के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के पिता स्व0 त्रिभुवन नाथ के नाम से मु0 58,864/–रू0 बकाया विद्युत बिल/नोटिस आर0सी0 को निरस्त किया जाये तथा संग्रह अमीन द्वारा जबरन जमा करायी गयी धनराशि मु0 10,000/–रू0 को बकाया विद्युत बिल में समायोजित करायी जाये तथा शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय विपक्षीगण से दिलाया जाये।

02–संक्षेप में परिवाद पत्र में परिवादी का अभिकथन है कि परिवादी के पिता स्व0 त्रिभुवन नाथ एक वैद्य कनेक्शनधारी थे जिसका कनेक्शन संख्या–751735820461 है। परिवादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। परिवादी उक्त कनेक्शन का बराबर भुगतान कर रहा है। परिवादी के पास दिनांक 12–07–2023 को मु0 58,864/–रूपये की आर0सी0 परिवादी के पिता स्व0 त्रिभुवन नाथ के नाम से विद्युत विभाग द्वारा काट दी गयी है। इस सम्बन्ध में परिवादी सम्बन्धित संग्रह अमीन से मिला तो उसने जमा बिल व रसीद देखने से मना कर दिया और जबरन दिनांक 28–07–2023 को मु0 10,000/–रू0 जमा करा लिया और धमकी देते हुए कहा कि जल्द ही पूरा बकाया जमा कर दो नही तो तुम्हारे घर की कुर्की कर देंगे। इसके पश्चात् परिवादी विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी से मिला और बताया कि मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं है। जब विद्युत विभाग से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब परिवादी न्यायालय में परिवाद दाखिल करने के लिए बाध्य हुआ।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्नक–04, भुगतान पावती रसीद संलग्नक–05, राजस्व निर्धारण प्रपत्र–2 दिनांक 12–07–2023 संलग्नक–06, संग्रह अमीन द्वारा जमा करायी गयी धनराशि मु0 10,000/–की रसीद संलग्नक–07, आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्नक–08 एवं लिखित बहस संलग्नक–17 एवं वकालतनामा संलग्नक–09 दाखिल किया गया है।

03–विपक्षी की तरफ से प्रतिवाद पत्र में अभिकथन किया गया है कि परिवादी के एक वैद्य घरेलू बत्ती/पंखा का कनेक्शनधारी है जिसका खाता संख्या–751735820461 है। विपक्षी द्वारा अपने प्रतिवाद–पत्र के पैरा–4 में यह दर्शित किया है कि विभागीय चेकिंग में विधा परिवर्तित में घरेलू विधा के कनेक्शन पर व्यवसायिक विधा एल0एम0वी0 2 में विद्युत का उपयोग व उपभोग करते हुए पाये गये जिनके खिलाफ विद्युत बिल के अतिरिक्त राजस्व निर्धारण धनराशि मु0 58,824/–रू0 की राजस्व वसूली की नोटिस भेजी गयी है जो सही है जो बिल के अतिरिक्त है जिसे जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवादी का है निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। चेकिंग रिपोर्ट प्रतिवाद–पत्र में संलग्न करने का उल्लेख किया गया है, किन्तु संलग्न नहीं किया गया है। विपक्षी प्रतिवाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्नक–14, लिखित बहस संलग्नक–15, वकालतनामा संलग्नक–16 दाखिल किया गया है।

04–उभयपक्ष की तरफ से लिखित बहस दाखिल किया गया है। हमारे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया।

05–प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी परिवादी के पिता स्वर्गीय त्रिभुवननाथ का एक वैद्य बत्ती/पंखा का कनेक्शनधारी होना स्वीकार किया गया, जिसका कनेक्शन–खाता संख्या–751735820461 है। परिवादी के पिता के नाम दिनांक 12–07–2023 को मु0 58,864/–रू0 का बकाया विद्युत बिल नोटिस/आर0सी0 जारी किया गया है, जबकि परिवादी के पिता के नाम जारी विद्युत बिल का भुगतान दिनांक 07–07–2023 को किया गया है। पत्रावली पर विद्युत बिल भुगतान पावती रसीद संलग्नक–05 दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 07–07–2023 तक का विद्युत बिल जमा किया जा चुका है। कोई धनराशि अवशेष नहीं है। विपक्षी विद्युत विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार व्यवसायिक विद्या में विद्युत का उपयोग व उपभोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में परिवादी के पिता स्वर्गीय त्रिभुवन नाथ के नाम दिनांक 12–07–2023 को गलत ढंग से जारी बकाया विद्युत बिल नोटिस/आर0सी0 संलग्नक–06 निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव मामले की तथ्यों, साक्ष्यों

एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी के पिता के नाम गलत ढंग से जारी बकाया विद्युत बिल नोटिस/आर0सी0 मु0 58,824/–रू0 संलग्नक–06 निरस्त किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के पिता के नाम दिनांक 07–07–2023 के पश्चात् का अद्यतन बकाया विद्युत बिल में तत्पश्चात् जमा बिल का समायोजन करते हुए अन्दर माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसे परिवादी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

किसी अन्य अनुतोष के सम्बन्ध में परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।

दिनांक 06–11–2023

06-11-23
(संचिता श्रीवास्तव)
सदस्या

06/11/2023
(लाल चन्द्र)
अध्यक्ष